न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र मुत.(मुन्तकली) संख्या– 08/19 **सन् 2019**

बउनवानी :–काली बाई उर्फ काली पत्नि हनुमान मीना निवासी बोरदा, तहसील चौथ का बरवाडा

बनाम

1. सरकार जरिये थानाधिकारी चौथ का बरवाडा
2. श्रीमान उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा

(मुन्तकली प्रार्थना पत्र विरूद्ध उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा मे जैरकार प्रकरण सख्या 21/2016 अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी उनवानी सरकार बनाम काली अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.ऐक्ट)

उपस्थित : 1.श्री विनोद कुमार अग्रवाल वकील प्रार्थी

–: निर्णय :– **दिनांक 17.6.2019**

वकील प्रार्थी ने न्यायालय उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा में विचाराधीन सख्या 21/2016 तहत धारा 145 सी.आर.पी.सी. उनवानी सरकार बनाम काली देवी के सम्बन्ध में अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.ऐक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध टिप्पणी तलबी की गयी साथ ही सम्बन्धित विपक्षीगणों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। विपक्षी बावजूद तामील नोटिस न्यायालय मे उपस्थित नही होने के कारण बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीया के विरूद्व मिथ्या तथ्यो पर एक इस्तगासा पर एक जॉच रिपोर्ट पेश कर धारा 145 सी.आर.पी.सी. सरकार बनाम काली देवी का पेंश किया जिसमे तारीख पेशी 14.6.2019 नियत है। यह तर्क भी दिया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने परिवादी ने आपस मे मिलीभगत कर पद का दुरूपयोग कर बिना नैसेर्गिक न्याय के सिद्वान्तों की पालना किये सुनवायी कर रहे है। प्रार्थी को उक्त प्रकरण की जानकारी लेने नकल लेने तथा सुनवायी पर जाने पर परिवादी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को मिथ्या तथ्य बताने पर भी न्यायालय प्रकरण की सुनवायी नही कर पद का दुरूपयोग कर रहे है प्रार्थीया बयोवृद्व है इसलिए प्रार्थीया उक्त प्रकरण की सुनवायी जिला मुख्यालय पर स्थित अन्य न्यायालय में करवाना चाहती है। अतः उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 21/2016 तहत धारा 145 सी.आर.पी.सी. उनवानी सरकार बनाम काली देवी को अन्य किसी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा की ओर प्राप्त टिप्पणी में भी पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपो को निराधार व मनगढन्त बताते हुए अंकित किया कि प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 2 में अंकित सभी तथ्य गलत एवं बेबुनियाद है। प्रकरण में थानाधिकारी, थाना चौथ का बरवाडा ने श्रीमति काली देवी पत्नि हनुमान मीना निवासी बोरदा के परिवाद की जॉच कर रिपोर्ट इस न्यायालय मे पेश की थी कि परिवादिया श्रीमति काली देवी के पति हनुमान तीन

डॉ० एस० पी० सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

सगे भाई है जिनमे अपनी खातेदारी भूमि को लेकर विवाद है जिसके संबंध में कई परिवाद भी थाना हाजा पर प्राप्त हुए है तथा आये दिन झगडा भी होता है कभी भी दोनो पक्षों में खूनी संघर्ष होने व जानमाल का खतरा होने की सम्भावना है। अतः खाता संख्या 158 ग्राम बोरदा व खाता संख्या 184 ग्राम ठेकडा की भूमि को धारा 145 सीआरपीसी के तहत कब्जा राज लिया जाना उचित रहेगा। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर उक्त खाता संख्या की भूमि हेतु तहसीलदार चौथ का बरवाडा को दिनांक 14.2.2012 को रिसीवर नियुक्त किया गया। उक्त आदेश के विरूद्व शंकर वगै. द्वारा माननीय न्यायालय अपर सैशन न्यायालय सवाईमाधोपुर में निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमे दिनांक 15.5.2013 को निर्णय पारित कर उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के आदेश दिनांक 14.2.2012 को अपास्त कर दिया गया। जिसके विरूद्व प्रार्थीया काली देवी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के यहा उक्त निर्णय को चुनौती दी गयी जो माननीय न्यायालय में एस.बी.क्रिमीनल पिटिशन संख्या 1443/2014 दर्ज हुई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपर सैशन न्यायालय सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 15.5.2013 को निरस्त कर प्रकरण में पक्षकारो को सुनवायी का अवसर देकर पुनः निर्णय करने के आदेश के साथ प्राप्त हेने पर मु.न. 21/16 पर दर्ज किया जाकर श्रीमति काली देवी को कई बार अवसर देने के पश्चात भी प्रतिवादी द्वारा अपना जवाब पेश नही किया गया है जिसके कारण प्रकरण मे सुनवायी की तिथिया नियत की जा रही है। वर्तमान में पत्रावली जवाबुल जवाब हेतु विचाराधीन है। फिर भी माननीय न्यायालय द्वारा जो भी उचित निर्णय पारित किया जावेगा उसमे उनके न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

वकील उभयपक्षों की और से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहॅचूता हूॅ, कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर लगाये आरोपों बाबत वकील प्रार्थीया द्वारा किये गये कथन के समर्थन में ऐसा कोई विधिसम्मत साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि होती हो। किन्तु न्यायहित प्रार्थीया की वयोवृद्वता को मध्य नजर रखते हुए प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण को दिगर न्यायालय को सुनवायी हेतु मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित समझता हूॅ।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के न्यायालय मे जैरकार प्रकरण संख्या 21/16 अन्तर्गत धारा 145 सी.आर.पी.सी उनवानी सरकार बनाम काली देवी को उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के न्यायालय से उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय मे मुन्तकिल किया जाता है। उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा को निर्देशित किया जाता है, कि उक्त प्रार्थना पत्र से संबंधित मिसल को दिनांक 11.7.2019 से पूर्व आपके न्यायालय से स्थानान्तरित कर उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करे। पक्षकारान दिनांक 11.7.2019 को न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय मे अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.6.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.03 16:37:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: